(5)

2015/00049
12/15

न्याय निर्णयन अधिकारी एंव अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी– श्री ओ0पी0बिश्नोई आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 12/2015

प्रार्थी
भूराराम गोदारा
खाध सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी,बाड़मेर

बनाम्

अप्रार्थीगण

1. हरीशकुमार पुत्र होलामल जाति सिंधी निवासी नया वास स्टेशन बालोतरा (मुनिम)
2. होलामल पुत्र हासोमल जाति सिंधी निवासी 66 एडवोकेट जसराज कोठारी के पास वार्ड नं. 8 बालोतरा (फर्म मालिक)
3. शांतिदेवी पत्नी गिरधारीलाल (सोल प्रोप्राईटर मुरारी एजेन्सी बालोतरा) खेतेश्वर कॉलोनी बालोतरा
4. भैरूसिंह पुत्र गिरधारीलाल वार्ड नं. 13–14 बालोतरा (फर्म मुरारी एजेन्सी का लाईसेन्सधारी)
5. अभिषेक मल्होत्रा सी.जूहू पार्क अपार्टमेंट, opp.ISKCON JUHU मुम्बई (महाराष्ट्र) मार्फत मैं0 लक्ष्मी टी कं. किशोर भवन 17 आर एन मुखर्जी रोड़ कोलकोता (वेस्ट बंगाल) 700001 (क. डायरेक्टर)
6. रंजीत कुमार दत्ता, 8/7 एलीपोरे रोड़ कोलकोता (वेस्ट बंगाल) मार्फत मैं0 लक्ष्मी टी कं. किशोर भवन 17 आर एन मुखर्जी रोड़ कोलकोता (वेस्ट बंगाल) 700001 (क. डायरेक्टर)
7. तपन कुमार चौधरी, 14/1ए पाल्म एवेन्यू 3फलोर कोलकोता (वेस्ट बंगाल) मार्फत मैं0 लक्ष्मी टी कं. किशोर भवन 17 आर एन मुखर्जी रोड़ कोलकोता (वेस्ट बंगाल) 700001 (क. डायरेक्टर)
8. रूद्र चटर्जी पुत्र दिपांकर चटर्जी, 6 तिलक रोड़, कोलकोता (वेस्ट बंगाल) मार्फत मैं0 लक्ष्मी टी कं. किशोर भवन 17 आर एन मुखर्जी रोड़ कोलकोता (वेस्ट बंगाल) 700001 (क. डायरेक्टर)

परिवाद अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii) खाध सुरक्षा एंव मानक अधिनियम,2006 व नियम 2011

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

उपस्थितः—1. सहायक लोक अभियोजक प्रथम बाड़मेर की ओर से।
2. श्री सम्पतराज बोथरा अप्रार्थी सं0 1 से 3 व 5 से 7 की ओर से।
3. श्री गोपालसिंह राजपुरोहित अप्रार्थी संख्या 4 की ओर से।

निर्णय

दिनांक 12.11.2016

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 21.06.2013 को प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी के दौराने गश्त जरिये सरकारी वाहन मैसर्स होलामल हासोमल नेहरू कॉलोनी बालोतरा प्रातः 11.00 पहुँचने पर दुकान पर एक व्यक्ति बैठा मिला। जिसका नाम पता पूछने पर अपना नाम हरीश कुमार पुत्र होलामल जाति सिंधी निवासी नया वास स्टेशन बालोतरा बताया। रूबरू मौतबिरान की उपस्थिति में मैसर्स होलामल हासोमल नेहरू कॉलोनी बालोतरा का निरीक्षण करने पर दुकान में अन्य खाद्य सामग्री के साथ चाय ब्राण्ड नारायणपुर (250 ग्राम पैकिंग) 30 पैकेटस पाई गई। जिसमें मिलावट होने का संदेह होने पर उक्त 30 पैकेटों में से 250—250 ग्राम के कुल आठ पैकेट सीलबंद कय किये जिसकी कीमत मौके पर मालिक विकेता को 560/— रूपये अदा की गयी। इन पैकेटो को प्लास्टिक कन्टेनर में डालकर उपर एयरटाईट ढक्कन लगाकर बंद किया गया तथा इसके उपर लेबल चिपकाया जिस पर नमूने का विवरण अंकित कर गवाहो व मालिक विकेता के हस्ताक्षर करवाये गये एंव स्लीप कोड एंव सिरियल नम्बर पी.477 चिपकाकर चिपडी लगाकर नियमानुसार सीलबंद किया गया इसके उपर लेबल चिपका कर नमूने का विवरण अंकित किए। प्रार्थी व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये। प्रत्येक नमूने को मोटे व खाखी कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूने पर विवरण अंकित कर प्रार्थी व गवाहों ने पेपर स्लीप को कॉस करते हुए हस्ताक्षर किये। फार्म नम्बर 05 ए भरकर गवाहों एंव प्रार्थी के हस्ताक्षर करवाये गये। उपरोक्त कार्यवाही रूबरू दो गवाहो के, की गई तथा चारो नमूनो को अपने कब्जे में लिया व मौके पर गवाहों की उपस्थिति में मौका फर्द तैयार की गई। सभी कार्यवाही करने के बाद कार्यालय आकर नमूना पी.477 जॉच हेतु खाध सुरक्षा लैब जोधपुर को भिजवाने हेतु फार्म नम्बर 06 की कुल सात प्रतियो पर नमूना सील जिसका प्रयोग सेंपल लेते वक्त नमूना सील करने में किया गया। एक प्रति नमूने के साथ रखकर आउटर कवर के साथ उसी ब्राससील से सील किया जिसका प्रयोग चारो नमूनो को सीलबन्द करने में किया गया एंव आउटडोर कवर कर नमूना विवरण अंकित किया गया एंव एक

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

लिफाफे में फार्म नम्बर 06 की एक प्रति रखकर खाध सुरक्षा लैब जोधपुर का पता अंकित कर ब्राससील द्वारा लिफाफे को सील बन्द किया गया। नमूने का शेष दूसरा, तीसरा व चौथा भाग मय फार्म नम्बर 06 की एक प्रति आउटर कवर में ब्राससील से सील कर सील अवस्था में अभिहित अधिकारी एंव मुख्य चिकित्सा अधिकारी बाड़मेर को भिजवाने जाने का उल्लेख किया गया। प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि खाध पेय पदार्थ चाय ब्रांड नारायणपुर (250 ग्राम) नमूना पी.477 की जॉच रिपोर्ट खाद्य सुरक्षा जेब जोधुपर से क्रमांक एलएस/305/एक्ट/2013/310 दिनांक 04.7.2013 से अभिहित अधिकारी एंव मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी, बाड़मेर को प्राप्त हुई। जॉच रिपोर्ट का अवलोकन करने पर नमूना पी.477 मिसब्रान्ड स्तर का होना पाया गया। उक्त प्रकरण में खाध पेय पदार्थ चाय का विक्रय करके खाध सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 एंव नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लंघन पाये जाने के आधार पर प्रार्थी खाध सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया। खाध सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ गजट नोटिफिकेशन की प्रति,कार्यक्षेत्र का नोटिफिकेशन एंव संशोधित नोटिफिकेशन की प्रति,फार्म नम्बर 5 ए,नमूना खरीद रसीद, मौका फर्द, नमूना पी.477 जॉच रिपोर्ट अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली पेश करने हेतु आवेदन फाईल करने बाबत लिखा गया पत्र की प्रति प्रस्तुत की गयी।

2. परिवाद प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को कारण बताओ नेाटिस जारी किया। अप्रार्थीगण संख्या 01 से 03 व 04 से 07 के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण का निस्तारण लोक अदालत की भावना से करवाने का निवेदन किया।

3. हमने दोनो पक्षों की बहस सुनी। अप्रार्थीगण के अधिवक्ताओं द्वारा बहस के दौरान् तर्क दिया कि खाद्य विश्लेषक जोधपुर की जांच रिपोर्ट में चाय का नमूना मिसब्राण्ड पाया गया अप्रार्थीगण लोक अदालत की भावना को ध्यान में रखते हुए प्रकरण का निस्तारण करवाना चाहते है। अतः कम से कम जुर्माना लगाते हुए प्रकरण का निस्तारण किया जाये।

4. सहायक लोक अभियोजक बाड़मेर प्रथम का यह तर्क है कि दिनांक 21.6.2013 को गश्त करते हुए मैसर्स होलामल हासोमल नेहरू कॉलोनी बालोतरा पहुॅचने पर दुकान के निरीक्षण के दौरान दुकान में अन्य किराणा सामग्री के साथ चाय ब्रान्ड नारायणपुर (250 ग्राम पैकिंग) 30 पैकेटस पाई गई। उक्त चाय में मिलावट होने का संदेह होने पर उक्त चाय का नियमानुसार नमूना लिया गया। जॉच के दौरान लिया गया चाय ब्रान्ड नारायणपुर (250

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

ग्राम पैकिंग) का नूमना पी–477 मिसब्रान्ड स्तर का होना पाया गया, जो खाध सुरक्षा एंव मानक अधिनियम की धारा 52 का उल्लंघन है। इसलिये अप्रार्थीगण पर जुर्माना आरोपित किया जाए।

5. विप्रार्थी संख्या 04 के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि हमने दोनो पक्षो की बहस सुनी। परिवाद में वर्णित तथ्यों एंव इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाध विश्लेषक जोधपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस/305/एक्ट/2013/310 दिनांक 04.07.2013 के अनुसार अप्रार्थीगण द्वारा बेची जा रही चाय का नमूना जॉच में मिसब्राण्ड का होना पाया गया है जिसके लिये अप्रार्थीगण दोषी प्रतीत होते है।

6. अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण हरीश कुमार पुत्र होलामल जाति सिंधी वगैरहा द्वारा **Misbranded** चाय ब्राण्ड नारायणपुर (250 ग्राम पैकिंग) का विक्रय करके खाध सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 और विनियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) उल्लंघन किया है। जिसके लिये उपरोक्त अधिनियम की धारा 52 में **Misbranded** खाद्य प्रदार्थ पाये जाने पर शास्ति आरोपित किये जाने का प्रावधान किया हुआ है। अतः खाध सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 एंव नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लंघन करने एंव अपराध कारित होने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 52 में अभियुक्त हरीश कुमार वगैरहा (प्रत्येक पर) पर राशि रूपये 8000/– अक्षरे रूपये आठ–आठ हजार मात्र शास्ति आरोपित की जाती है। अभियुक्त उपरोक्त शास्ति की राशि मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नाम डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय तारीख 12.11.2016 से एक माह के अंदर–अंदर जमा कराकर रसीद प्राप्त करें।

(ओ0पी0बिश्नोई)
न्याय निर्णयन अधिकारी एंव
अति. जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर
न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 12.11.2016 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्याय निर्णयन अधिकारी एंव
अति. जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर
न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर